2017 का अधिनियम संख्यांक 39

[दि कांस्टीट्यूशन (शेडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद ।]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का ओडिशा राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने और संविधान (पांडिचेरी) (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1964 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

सं.आ.19 5 **2.** संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13 - ओडिशा में, प्रविष्टि 79 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"79. सबाखिया, सुआलगिरि, स्वालगिरि ।" ।

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 का संशोधन ।

सं.आ.68 **3.** संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 में "पांडिचेरी" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है, "पुडुचेरी" शब्द रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) उपबंधों के अनुसरण में, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करते हुए राष्ट्रपतीय आदेश जारी किए गए थे । इन आदेशों को संसद् के अधिनियमों द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अधीन अधिनियमित हुए ।

2. ओड़िशा राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में सबाखिया समुदाय से संबंधित सूची की प्रविष्टि 79 के संबंध में समानार्थी जातियों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है । भारत महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रस्तावित उपांतरणों के लिए अपनी सहमति दे दी है ।

3. पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के नाम को पुडुचेरी के रूप में परिवर्तित किए जाने के परिणामस्वरूप, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 में आने वाले पांडिचेरी के संशोधन के निर्देश को पारिणामिक संशोधन के रूप में परिवर्तित करना अपेक्षित है ।

4. उपर्युक्त को प्रभाव देने के क्रम में, निम्नलिखित दो संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेशों में संशोधन करने की आवश्यकता है, अर्थात् :--

(i) ओड़िशा के संबंध में, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 ; और

(ii) संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 ।

5. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
17 फरवरी, 2017.

थावर चंद गहलोत

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, ओड़िशा राज्य के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में एक प्रविष्टि के संबंध में कतिपय समानार्थी समुदायों को सम्मिलित करने के लिए है । इसमें नए जोड़े गए समुदायों के व्यक्तियों, जो इस विधेयक के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप हकदार बन जाएंगे, हेतु अनुसूचित जातियों के विकास के लिए बनाई गई स्कीमों के फायदों के मद्दे कुछ अतिरिक्त आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा ।

2. जाति-वार आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, इस मद्दे प्रोद्भूत होने वाले संभावित वास्तविक व्यय का सही-सही प्राक्कलन संभव नहीं है ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 19) से उद्धरण

* * * * * *

भाग 13---उड़ीसा

* * * * * *

79. सबाखिआ

* * * * * *

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 (सं0 आ0 68) से उद्धरण

* * * * * *

1. यह आदेश संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 कहा जा सकेगा ।

2. वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के ग्रुप जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे :

परंतु कोई भी व्यक्ति जो हिंदू सिक्ख या बौद्धट धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।

* * * * * *

GMGIPMRND—4784LS(CRC)—01-03-2017.